

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक 06.02.2020

संख्या-7/स्था01-9-03/2010 (खण्ड-II)सा0प्र0 3240/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-8472 दिनांक 06.02.2020 द्वारा संसूचित अनुशांसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-16053 दिनांक 26.11.2019 द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर, जो ब्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (बिहार स्पेशल कोर्टस एक्ट, 2009 के सेक्सन-05 के द्वारा आच्छादित डी0ए0 केस को छोड़कर) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायाधीश (निगरानी) न्यायालय के पद पर पदस्थापित श्री विनोद कुमार तिवारी का पदस्थापन स्थान अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि के प्रभाव से भागलपुर निर्धारित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

06.02.2020
(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-9-03/2010(खण्ड-II)सा0प्र0 3240/ पटना-15, दिनांक 06.02.2020

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

06.02.2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-9-03/2010(खण्ड-II)सा0प्र0 3240/ पटना-15, दिनांक 06.02.2020

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-8472 दिनांक 06.02.2020 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर/श्री विनोद कुमार तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.02.2020
सरकार के अवर सचिव।